क्र.सं.	दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से	टिप्पणी
	14/11/22	[illegible] 18/11/22	
	18/11/22	पत्रावली पेश हुई। प्र.पा.-उप०। उभय पक्षों के अधिवक्ता ने प्रकरण को राजीनामे के आधार पर डिक्री करने का निवेदन किया गया। बहस सुनी। पत्रावली व राजीनामे का अवलोकन किया गया। प्रकरण को राजीनामे के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज रजिस्टर बेच कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2023.07.12 11:52:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

विशेष विवरण

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मु0) चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:—86/2022

उनवान

राजेश पुत्र स्व0 रमेश कुमार पौत्र स्व0 शिव कुमार, उम्र ...... वर्ष, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. शरद पुत्र स्व0 रमेश कुमार पौत्र स्व0 शिव कुमार, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :—18.11.2022

वादी ने उक्त वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी वाके ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का रहने वाला काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालना पोषण करता है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 एक ही पूर्वज (दादा) शिव कुमार पुत्र देवीदत्त के वारिसान हैं। वाके ग्राम खेजरोली—बी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खाता सं0 664 के खसरा नं0 3042 रकबा 0.66 है0, खसरा नं0 4132 रकबा 0.63 है0, खसरा नं0 4133 रकबा 0.11 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 1.40 हैक्टेयर भूमि तथा वाके ग्राम खेजरोली—ए, तहसील चौमूं, जिला जयपुर खाता सं0 657 के खसरा नं0 6262 रकबा 0.29 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि उक्त वाद में विवादित भूमि है। उक्त विवादित कृषि भूमियां वादी एंव प्रतिवादी सं0 2 के दादा शिव कुमार के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। वादी के दादा के एकमात्र संतान वादी के पिता रमेश कुमार थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी के पिता रमेश कुमार के वादी एंव प्रतिवादी सं0 2 वारिस हैं। उक्त विवादित आराजियात जोकि वादी एंव प्रतिवादी सं0 2 की पुश्तैनी भूमियां रही हैं। वादी एंव प्रतिवादी सं0 2 के दादा एवं पिता दोनों का स्वर्गवास हो जाने के कारण विवादित आराजियात में वादी एंव प्रतिवादी सं0 2 का बराबर—बराबर हिस्सा 1/2—1/2 जन्म से ही निहित रहा है, ज़िस पर वादी एंव प्रतिवादी सं0 2 आपसदारी में काश्त कर फसलों को प्राप्त कर उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे थे तथा लगान [illegible] अदा करते आ रहे थे। उक्त विवादित आराजियात को [illegible] स्थिति आ गई है जिस कारण वादी एंव प्रतिवादी सं0 2 की संयुक्त खाते की भूमि जिसका कि किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारार विधिवत तकासमा नहीं हुआ है पर मेन रोड़ पर दुकानों का निर्माण कार्य करने पर आमदा है, जिसका प्रतिवादी सं0 2 को कोई विधिक हक अधिकार प्राप्त नहीं है। दिनांक 14.10.2022 को प्रतिवादी सं0 2 अपने विधि विरुद्ध उद्देश्य की पूर्ति हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2023.07.12 11:52:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

विवादित भूमि में रोड़ से लगवां भूमि पर दुकानों का निर्माण कार्य करने हेतु मौके पर निर्माण कार्य सामग्री इत्यादि डालने लगे तथा नींव आदि खोदने लगे जिस पर वादी द्वारा आपत्ति व ऐतराज किया गया व कहा गया कि उक्त विवादित भूमियां हमारे दादा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं तथा उक्त भूमियों की खातेदारी हमारे नाम से खुलवाकर तथा विधिवत तकासमा करवाकर आप निर्माण कार्य कर लेना जिस पर प्रतिवादी सं0 2 उग्र हो गया तथा वादी को विवादित भूमि का बिना नामान्तकरण खुलवाये तथा बिना तकासमा करवाये ही रोड़ के लगवां भूमि पर जबरन लठ के बल निर्माण कार्य करने व वादी को जबरन बेदखल करने की धमकी दी गई जिस कारण उक्त वाद पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ है। वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर यह अनुतोष चाहा गया है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी सं0 2 बाबत घोषणा का डिक्री किया जाकर विवादित आराजियात हाल खता सं0 664 व 657 में प्रत्येक खाते में 1/2 भाग की घोषणा की जावे। वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी सं0 2 बाबत तकासमा का डिक्री किया जाकर विवादित आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिवत तकासमा किया जाकर विवादित आराजियात हाल खता सं0 664 व 657 में प्रत्येक खाते में वादी का खातेदारी हिस्सा 1/2 भाग का पर्चा लगान अलग से कायम किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी सं0 2 विवादित आराजियात के विशिष्ट भू–भाग को अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था को हस्तान्तरित नहीं करें, ना ही वादी को विवादित आराजियात में निहित वादी के शामलाती कब्जेकाश्त एवं हिस्से की भूमि के शान्तिपूर्ण उपयोग–उपभोग से ही वंचित करें, ना ही कोई खाम या पुख्ता निर्माण कार्य करें ना ही निर्माण सामग्री डलवायें, ना ही वादी के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान कारित करें तथा प्रतिवादी सं0 1 विवादित आराजियात बाबत किसी भी प्रकार का कोई राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन परिवर्धन नहीं करें। उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवाये।

पत्रावली पेश हुई। बाद कार्यालय रिपोर्ट की जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस प्रेषित करने के आदेश के साथ पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रतिवादीगण की तामील जारी की जाकर बाद तामील पत्रावली में शामिल की गई। प्रतिवादी सं0 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आए एवं वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 के द्वारा समझौता अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सी0पी0सी0 (राजीनामा) प्रस्तुत किया गया, जिसे तस्दीक किया जाकर पत्रावली में शामिल मिसल किया गया एवं पत्रावली वास्ते साक्ष्य आगामी पेशी हेतु नीयत की गई। पत्रावली न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई जहां उभयपक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से पूर्व में प्रस्तुत राजीनामा की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुए निवेदन किया गया कि राजीनामा के अनुसार पत्रावली को अंतिम रुप से निर्णित किया जावे क्योंकि पक्षकारान के मध्य विवादित सम्पत्ति के संबंध में हुए विवाद को राजीनामा के माध्यम से सुलझा लिया गया है तथा वाद पत्र में वादी द्वारा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का जो अनुतोष चाहा गया था वह अब उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहता है जिसके लिए वादी व प्रतिवादी सं0 2 सहमत [illegible] न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत समझौता अन्तर्गत आदेश 23 [illegible] के संबंध में वाद पत्र को डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2023.07.12 11:52:40 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल दस्तावेज राजीनामा का बतौर अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादी द्वारा जो राजीनामा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था वह घोषणा के संबंध में था जिसके अवलोकन उपरान्त वादी व प्रतिवादी के विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहने के कारण राजीनामा के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायालय अभिमत में उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा विवादित भूमि वाके ग्राम खेजरोली—बी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खाता सं0 664 के खसरा नं0 3042 रकबा 0.66 है0, खसरा नं0 4132 रकबा 0.63 है0, खसरा नं0 4133 रकबा 0.11 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 1.40 हैक्टेयर भूमि तथा वाके ग्राम खेजरोली—ए, तहसील चौमूं, जिला जयपुर खाता सं0 657 के खसरा नं0 6262 रकबा 0.29 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 2 को विवादित आराजियात में बराबर—बराबर हिस्सा 1/2—1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री जारी हो। डिक्री पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0/मु0)
चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2023.07.12 11:52:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मु0सं0–86/2022
उनवान–राजेश बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक:–18.11.2022

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मु0) चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती रतन कौर (R.A.S.)

उनवान

राजेश पुत्र स्व0 रमेश कुमार पौत्र स्व0 शिव कुमार, उम्र ..... वर्ष, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. शरद पुत्र स्व0 रमेश कुमार पौत्र स्व0 शिव कुमार, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :–86/2022

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी व प्रतिवादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

विवादित भूमि वाके ग्राम खेजरोली–बी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खाता सं0 664 के खसरा नं0 3042 रकबा 0.66 है0, खसरा नं0 4132 रकबा 0.63 है0, खसरा नं0 4133 रकबा 0.11 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 1.40 हैक्टेयर भूमि तथा वाके ग्राम खेजरोली–ए, तहसील चौमूं, जिला जयपुर खाता सं0 657 के खसरा नं0 6262 रकबा 0.29 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 2 को विवादित आराजियात में बराबर–बराबर हिस्सा 1/2–1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री जारी हो। डिक्री पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावे।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 18.11.2022 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kaur
Date: 2023.07.12 11:52:40 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

दस्तखत .....

ओहदा..... सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

मु0सं0–86 / 2022
उनवान–राजेश बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक:–18.11.2022

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	4 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	6	जोड़	2

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2023.07.12 11:52:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner